


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 165]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015 /CHAITRA 2, 1937

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2015

सा.का.नि. 216(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6 के उपनियम (1) में खंड (ण) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(त) उसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आंतकवाद विरोधी कार्रवाई का सीधा प्रसारण अंतर्विष्ट है, जिसमें समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा मीडिया कवरेज आवधिक ब्रीफिंग तक निर्बंधित होगा, जब तक ऐसी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि “आंतकवाद विरोधी कार्रवाई” से आंतकवादियों को न्यायालय में लाने के लिए की जाने वाली ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा बलों और आंतकवादियों के बीच बल का न्यायोचित उपयोग अंतर्वलित करने वाले सभी कार्य हैं।’

[सं. 9/10/2012-बीपी एंड एल]

आर. जया, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा. का.नि. 729(अ) तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए —

1. सा.का.नि. 459 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 1996
2. सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 18 जनवरी, 2000
3. सा.का.नि. 710 (अ), तारीख 8 सितंबर, 2000
4. सा.का.नि. 719 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2000
5. सा.का.नि. 282 (अ), तारीख 11 मई, 2006
6. सा.का.नि. 452 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2006
7. सा.का.नि. 459 (अ), तारीख 2 अगस्त, 2006
8. सा.का.नि. 469 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2006
9. सा.का.नि. 697(अ), तारीख 11 नवंबर, 2006
10. सा.का.नि. 286(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007
11. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 12 जुलाई, 2007
12. सा.का.नि. 774(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2007
13. सा.का.नि. 25(अ), तारीख 10 जनवरी, 2008
14. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008
15. सा.का.नि. 413(अ), तारीख 29 मई, 2008
16. सा.का.नि. 138(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009
17. सा.का.नि. 411(अ), तारीख 12 जून, 2009
18. सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2012
19. सा.का.नि. 1521(अ), तारीख 6 जुलाई, 2012

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2015

G.S.R. 216(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 6, in sub-rule (1), after the *Explanation* to clause (o), the following shall be inserted, namely:—

‘(p) contains live coverage of any anti-terrorist operation by security forces, wherein media coverage shall be restricted to periodic briefing by an officer designated by the appropriate Government, till such operation concludes.

Explanation.— For the purposes of this clause, it is clarified that “anti-terrorist operation” means such operation undertaken to bring terrorists to justice, which includes all engagements involving justifiable use of force between security forces and terrorists.’

[No. 9/10/2012-BP&L]

R. JAYA, Jt. Secy.